न्यायालय – सिविल न्यायाधीश, जैतारण जिला – पाली

पीठासीन अधिकारी : **रजनी मीणा, आर.जे.एस.**

दीवानी मूल वाद संख्या : 37 सन् 2021

वादी :–

1. पुष्पेंद्र पुत्र सत्यनारायण, निवासी आ. कालू, तहसील जैतारण, जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली।

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी

उपस्थित :–

1. श्री रूस्तम खान, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री सोमाराम चौधरी, अपर लोक अभियोजक प्रतिवादी की ओर से ।

निर्णय **दिनांक : 18.08.2022**

01. वादी की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आबादी मौजा ग्राम आ. कालू बस स्टेण्ड पर वादी की वैष्णव टी स्टॉल के नाम से एक दुकान वर्षों पुरानी आई हुई है, जिसके पड़ोसान निम्न प्रकार हैं :–

उत्तर में – आम रास्ता

दक्षिण में – पशु चिकित्सालय

पूर्व में – ओमप्रकाश की दुकान

पश्चिम में – सरकारी स्कूल जाने का आम रास्ता

वादी की दुकान आ. कालू बस स्टेण्ड पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से बनी हुई है, जिस पर पहले वादी के पिता बैठते थे व अब उपरोक्त दुकान का उपयोग–उपभोग वादी के द्वारा किया जा रहा है। वादी के द्वारा उपरोक्त पड़ोसान के बीच स्थित दुकान में बिजली का कनेक्शन वादी के पिता द्वारा लिया हुआ है, जिसकी ग्राम पंचायत आ. कालू द्वारा दिनांक 30.11.1996 को एन.ओ.सी./अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। वादी द्वारा उपयोग–उपभोग की जाने वाली दुकान के सामने मुख्य रास्ता स्थित है, जिससे होकर बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप आदि आसानी से आते–जाते हैं।

वादी की दुकान के पास सरकारी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, एसबीआई बैंक आदि बने हुए हैं तथा आस–पास आबादी बसी हुई है। वादी द्वारा उपयोग–उपभोग की जाने वाली दुकान का कभी भी ग्राम पंचायत आ. कालू के ग्राम सेवक, सरपंच तथा किसी भी सरकारी अधिकारी ने वादी की दुकान को लेकर कभी भी कोई ऐतराज नहीं किया था, क्योंकि वादी लगातार उसके पिता के समय से चली आ रही दुकान का उपयोग–उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से करता आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.09.2021 को मुकदमा संख्या 480/2020 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस खसरा नं. 837 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण बताकर दिया गया है, जबकि उपरोक्त खसरे में वर्तमान में पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है। खसरा नं. 837 की भूमि पर वादी का लगातार सेटल पजेशन है, जो निर्विवाद रूप से पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। वादी की दुकानों के आस–पास ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित कर पट्टे जारी कर रखे हैं। वादी की दुकान के अलावा हॉस्पीटल, बैंक, स्कूल ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित पक्की दुकान आदि खसरा नं. 837 पर बनी हुई है, लेकिन केवल मात्र वादी के दुकान से हटाने व उनको अपने हक अधिकारों से वंचित करने के आशय से नोटिस जारी किए गए हैं। वादी के पास दुकान के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं है, प्रतिवादी द्वारा यदि वादी की दुकान को अतिक्रमण मानकर हटा दिया जाता है तो वादी बेरोजगार हो जाएगा। यदि वादी की दुकान को प्रतिवादी द्वारा दौराने वादपत्र अतिक्रमण के नाम पर गिराया जाता है तो वादी जरिये आदेशात्मक/निर्देशात्मक आदेश के वापस निर्माण कराने के अधिकारी है। उपरोक्त वादपत्र में प्रतिवादी राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जिन्हें वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक होता है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादी के दुकान को गिराने का नोटिस दिए जाने के कारण वाद अर्जेंट प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिए ही न्यायालय की अनुमति से वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय वाद दिनांक 09.03.2021 को प्रतिवादी द्वारा उसके दुकान को हटाने का अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस दिए जाने पर मौजा आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो आप श्रीमान् के समक्ष पेश है।

अंत में वादी विरुद्ध प्रतिवादी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को दुकान से बेदखल कर गिराने, उनके उपयोग–उपभोग करने में दखलंदाजी करने जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के वास्ते रोका जावे।

02. **प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का जवाबदावा** पेश कर निवेदन किया कि राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आ. कालू द्वितीय तहसील जैतारण में स्थित खसरा नं. 837

रकबा 25 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा संख्या 1838 रकबा 112 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी की राज्य सरकार की रास्ता व नदी हेतु रखी गई भूमि है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 संलग्न है। मौजा बस्सी में स्थित खसरा नं. 837 गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 1838 रकबा 112 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी की भूमि पर समय–समय पर अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने बाबत् राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं समय समय पर जारी परिपत्रों की पालना में भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण की ओर से अतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमी व्यक्ति को अपना अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किए जाकर बाद सुनवाई के नियमानुसार अतिक्रमियों पर जुर्माना आरोपित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता रहा है। जिस पर अतिक्रमण कर लेने पर हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच के अतिक्रमण बाबत् अपनी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश करने पर सक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 480/2020 व 351/2020 दर्ज करते हुए भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी पुष्पेंद्र को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उक्त वादी पुष्पेंद्र का अतिक्रमण साबित होना पाया जाने से उसके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली के आदेश पारित किए गए है। इसकी पालना करवाने बाबत् सक्षम उत्तरदायी व्यक्ति को निर्देशित किया जा चुका है एवं अतिक्रमण व्यक्ति स्वयं द्वारा इस बाबत् जुर्माना राशि भी दिनांक 25.01.2021 को जमा करवायी जा चुकी है, जिसकी नकल जुर्माना रसीद साथ संलग्न है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अतिक्रमी व्यक्ति भूस्वामी के विरुद्ध स्थगन का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकरण में तो विधिक प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमी व्यक्ति को गै.मु. रास्ता व नदी से बेदखल किए जाने बाबत् आदेश दिनांक 30.09.2020 को जारी हो चुके हैं। भूमिधारी राजस्थान की भूमियों पर ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक 09.03.2020 का उल्लेख वादी ने वादपत्र पेश करने की गरज से झूठा अंकित किया है। वादी द्वारा किए गए अतिक्रमण बाबत् हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 30.09.2020 को नियमानुसार पत्रावली कायम कर विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत आवश्यक काग्रवाही कर वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित हो चुके है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र संव्यय खारिज योग्य होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया।

03. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा

निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादी वादपत्र के मद संख्या 01 में वर्णित बस स्टेण्ड आ. कालू में वादी की दुकान खसरा संख्या 837 में आई हुई है। उक्त दुकान पर वादी 50 वर्षों से काबिज है एवं उपयोग–उपभोग कर रहा है, जिस पर प्रतिवादी बेदखल करने पर आमादा होने से वर्णित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

————— वादी

2. आया वाद गैरमुमकिन गौचर खसरा नं. 837 व खसरा नं. 1838 रकबा 112 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी की भूमि पर वादी अतिक्रमी को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं होने एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित होने से वादपत्र में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है?

————— प्रतिवादी

3. अनुतोष

04. कायम की गयी तनकीयात के आधार पर उभय पक्षकारान पर साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 16.08.2022 को वादी की साक्ष्य बंद की गयी और प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिस पर दिनांक 17.08.2022 को प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

<u>विवाद्यक संख्या – 1</u>

05. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। न्यायालय के विनम्र मत में वादी वाद का स्वामी होता है तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने का भार वादी पर ही होता है। हस्तगत वाद में साक्ष्य के अभाव में वादी वादपत्र के अभिवचनों को साबित नहीं कर सका है। अतः वादी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय किये जाते है।

<u>विवाद्यक संख्या – 2</u>

06. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से भी प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः साक्ष्य के अभाव में उक्त

विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध तय किए जाते है।

07. उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्ध तय किये जाते है। अतः हस्तगत प्रकरण को निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आ दे श ::

08. वादी पुष्पेंद्र पुत्र सत्यनारायण, निवासी आ. कालू, तहसील जैतारण, जिला–पाली की ओर से प्रतिवादी के विरुद्व प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(रजनी मीणा)
सिविल न्यायाधीश, जैतारण
जिला पाली

09. निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
सिविल न्यायाधीश, जैतारण
जिला पाली